न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 65/2025 तारीख रजूः— 24.12.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

जगमोहन पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :— 1. प्रार्थी स्वंय

निर्णय

दिनांक :— 26.12.2025

प्रार्थी के द्वारा दिनांक 17.12.2025 को ग्रामीण समस्या समाधान शिविर शेरपुर में प्रार्थना पत्र पेश करने एवं नायबतहसीलदार शेरपुर के पत्रांक भू.अ./2025/197 दिनांक 17.12.2025 के के साथ प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.12.2025 को प्रार्थी ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर शेरपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि ग्राम शेरपुर की जमाबन्दी संवत् 2070—2073 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता 345 ख0 नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदार रामभरोसी पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2, वीदा पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2 की जाति जाट गलत दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम शेरपुर संवत् 2037—2040 की खाता संख्या 148 खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा में खातेदार वीदा, रामभरोसी पि0 परमसुख जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा भू—प्रबंध खतौनी संवत् 2046 लगायत 2066 में गत खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा का नवीन खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 अंकित किया है एवं भू—प्रबंध विभाग द्वारा भू—प्रबंध खतौनी संवत् 2046 लगायत 2066 में खातेदारों खाता संख्या 242 ख0 नं0 964 रकबा 0.24 है0 में वीदा, रामभरोसी पि0 परमसुख जाति जाट गलत दर्ज कर दी गयी है, उक्त खातेदारों की जाति ब्राह्मण है।

अतः जमाबंदी ग्राम शेरपुर संवत् 2037 लगायत 2040 के खाता संख्या 148 खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा के आधार पर हाल खाता संख्या 345 खसरा नम्बर हाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

964 रकबा 0.24 है0 में खातेदारों की जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण सही दर्ज कराने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर शिविर में ही भू–अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर एवं पटवारी हल्का शेरपुर से रिपोर्ट ली गई। दिनांक 17.12.2025 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर एवं पटवारी हल्का शेरपुर ने रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्राप्त प्रार्थना पत्र ग्राम शेरपुर के खाता सं. 345 ख0 नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदारान की जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण शुद्ध करने की जाँच संलग्न रिकॉर्ड से की गई। मुताबिक संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2037–40 ग्राम शेरपुर के खाता सं0 148 ख0 नं0 841 रकबा 1 बीघा की खातेदारी वीदा, रामभरोसी पि0 परमसुख जाति ब्राह्मण सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक संलग्न मिलान क्षेत्रफल के गत खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा का हाल खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाया गया हैं। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध खतौनी संवत् 2046–66 की खाता संख्या 242 ख0 नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदार वीदा, रामभरोसी पि0 परमसुख जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दी गयी है। जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा सहवन से जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाति जाट गलत दर्ज की गई है। भू–प्रबंध विभाग की खतौनी संवत् 2046–66 से आदिनांक तक जमाबंदी उक्त खातेदारान की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाति जाट गलत दर्ज चलती आ रही है।

अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम शेरपुर संवत् 2037–40 के खाता संख्या 148 खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा के आधार पर खातेदार वीदा, रामभरोसी पि0 परमसुख की जाति वर्तमान खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 में जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण शुद्ध किया जाना उचित है।

भू–अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर एवं पटवारी हल्का शेरपुर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.12.2025 के आधार पर नायबतहसीलदार शेरपुर जिला करौली ने पत्रांक भू.अ./2025/197 दिनांक 17.12.2025 बाबत् ग्राम शेरपुर की खाता संख्या 345 के खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदारान की जाति जाट के स्थान पर ब्राहम्ण शुद्ध करने बाबत् पेश कर पत्र में अंकित किया है कि ग्रामीण समस्या समाधान शिविर शेरपुर में प्राप्त आवेदन द्वारा श्री जगमोहन पुत्र रामभरोसी जाति ब्राह्मण निवासी शेरपुर ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम शेरपुर की जमाबंदी संवत 2070–73 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या 345 खसरा नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदार रामभरोसी पुत्र परमसुख हि० 1/2, वीदा पुत्र परमसुख हि0 1/2 की जाति जाट गलत दर्ज है। जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम शेरपुर संवत् 2037–2040 की खाता संख्या 148 खसरा नं० 841 रकबा 1 बीघा में खातेदार वीदा, रामभरोसी पि० परमसुख जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः खातेदारान की जाति जाट के स्थान पर ब्राह्मण शुद्ध करने की कृपा करें। प्राप्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त शेरपुर व पटवारी हल्का शेरपुर ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2037–40 ग्राम शेरपुर के खाता संख्या 148 खसरा नं0 841 रकबा 1 बीघा की खातेदारी वीदा, रामभरोसी पि० परमसुख जाति ब्राह्मण सा०देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक संलग्न प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नं0 841 रकबा 1 बीघा का हाल खसरा नं0 964 रकबा 0.24 है० भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाया गया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध खतौनी संवत 2046–66 की खाता संख्या 242 खसरा नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदार वीदा, रामभरोसी पि० परमसुख जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दी गयी है, जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा सहवन से जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट गलत दर्ज की गयी है। भू–प्रबंध विभाग की खतौनी संवत् 2046–66 से आदिनांक तक जमाबंदी में उक्त खातेदारान की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाति जाट गलत दर्ज चलती आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम शेरपुर संवत् 2037–40 के खाता संख्या 148 खसरा नं0 841 रकबा 1 बीघा के आधार पर खातेदार वीदा, रामभरोसी पि० परमसुख की जाति वर्तमान खसरा नं० 964 रकबा 0.24 है० में जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण शुद्ध किया जाना उचित है। अतः मूल जांच रिपोर्ट आईएलआर शेरपुर व पटवारी हल्का शेरपुर मय ग्राम शेरपुर संवत् 2037–40 के खाता संख्या 148 खसरा नं0 841 रकबा 1 बीघा के आधार पर खातेदार वीदा, रामभरोसी पि० परमसुख की जाति वर्तमान खसरा नं० 964 रकबा 0.24 है० (जमाबंदी 2070–73) में जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण शुद्ध किये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

उक्त पत्र के साथ दस्तावेज ग्रामीण समस्या समाधान शिविर शेरपुर में प्राप्त मूल प्रार्थना पत्र, नकल जमाबंदी संवत् 2037–40, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2046–66, नकल भू प्रबंध खतौनी संवत् 2046–66, नकल जमाबंदी संवत् 2070–73, मूल जांच रिपोर्ट आईएलआर शेरपुर/पटवारी शेरपुर पेश किये हैं।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत् 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खाता संख्या 133 के साबिक खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी बीदा रामभरोसी पि0 परमसुख जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2046–66 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 841 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम शेरपुर से नवीन खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम शेरपुर कायम किया गया है।

नकल भू प्रबंध खतौनी संवत् 2046–66 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी बीदा रामभरोसी पि0 परमसुख जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी बीदा पुत्र परमसुख हि0 1/2, रामभरोसी पुत्र परमसुख हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 964 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी बीदा पुत्र परमसुख हि0 1/2, रामभरोसी पुत्र परमसुख हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त खातेदारों की जाति ब्राहम्ण थी। मुताविक नायबतहसीलदार शेरपुर की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर उक्त खातेदारों की जाति ब्राहम्ण है। जिसकी दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0 नं0 964 रकबा 0.24 है0 में खातेदार रामभरोसी पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2, वीदा पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2 की जाति जाट के स्थान पर रामभरोसी पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2, वीदा पुत्र परमसुख हिस्सा 1/2 की जाति ब्राहम्ण संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली